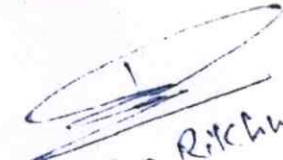


कार्य का नाम-जनपद-पौड़ी गढ़वाल में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत नौड़खाल माला से कोटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु अपेक्षित 4.702 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-पौड़ी गढ़वाल में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत नौड़खाल माला से कोटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु अपेक्षित 4.702 है० के हस्तान्तरण हेतु दुगुने क्षेत्रफल 9.404 है० चकराता वन प्रभाग, कालसी के अन्तर्गत रिखनाड रेंज के कुडोग-22 में अवनत चयनित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त पाई गई है।


प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता


R. A. Rikhaad